राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, बिजनौर
चान्दपुर, बिजनौर – 246725, (उ0प्र0)

संदर्भ संख्या : 15/रा0इ0का0/छा0प्र0/अ0प्र0सू0/2020–21 दिनांक : 28 नवम्बर, 2020

–:: अतिआवश्यक सूचना ::–

सत्र 2020–21 में संस्थान में नवप्रवेशित समस्त छात्र– छात्राओं को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2020–21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु पात्र छात्र–छात्रा अपना आवेदन फॉर्म से सम्बन्धित जानकारी को प्राप्त करने के उपरान्त ही भरें। दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 दिसम्बर है।

Link https://scholarship.up.gov.in/RegistrationFormInstitute.aspx?C=Mg==

अतः दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु पात्र छात्र – छात्रा ससमय अपना आवेदन फॉर्म ऑन लाईन के माध्यम से भरना सुनिश्चित करे।

(सन्तोष कुमार)
नोडल अधिकारी (छात्रवृत्ति)
नोडल अधिकारी
छात्रवृति प्रकोष्ठ
राजकीय इंजी० कालेज बिजनौर

28/11/2020
(नरेश कुमार)
कुलसचिव
Naresh Kumar
(Registrar)
Rajkiya Engineering College
Bijnor (U.P.)

राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज,बिजनौर
Rajkiya Engineering College, Bijnor
An Institute of Government of Uttar Pradesh
(AICTE APPROVED)
Jaleelpur Road, Near Eidgah, Chandpur, Distt- Bijnor, Uttar Pradesh, India -246725.
Website : www.recb.ac.in
Ph: 01345-221301
Fax 01345-221302

संदर्भ संख्या : 16 /रा0इ0का0/छा0प्र0/छा0सू0/2020–21

दिनांकः 28/11/2020

–:: छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवश्यक सूचना ::–

वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु संस्थान में अध्ययनरत् बी0टेक0 में नवप्रवेशित प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष (लेटरल इंट्री) के छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु पात्र सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र–छात्राओं को सूचित किया जाता हैं कि सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र जिनके माता–पिता /अभिभावक की आय रू0 2.00 लाख तक हैं एवं अनुसूचित जाति वर्ग तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र जिनके माता–पिता /अभिभावक की आय रू0 2.00 लाख तक है। उन पात्र छात्र–छात्राओं के छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन फार्म को ऑन लाइन के माध्यम से भरा जाना है। समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट **scholarship.up.nic.in** पर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का फार्म नवीन श्रेणी (फ्रेश) में भरने के उपरान्त उसका प्रिन्ट लेकर सभी संलग्नकों की स्कैन प्रति (नीचे लिखी सूची के अनुसार) सहित अपना छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का आवेदन फार्म को निम्नलिखित **PDF** फॉर्मेट में **(1-OBC-BRANCH-SUTDENT NAME)** संस्थान के छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ के **ई–मेल आई डी recb.scholorshipcell@gmail.com** पर अविलम्ब प्रेषित करना सुनिश्चित करें। जिससे की समयानुसार जिला विद्यालय निरीक्षक/समाज कल्याण विभाग, बिजनौर को प्रेषित किया जा सकें। छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का फार्म अपूर्ण व विलम्ब से प्राप्त होने के कारण अग्रसारित न होने पाने की दशा में छात्र–छात्रायें स्वयं जिम्मेदार होगें।

संलग्नकः–

1. दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति ऑनलाईन माध्यम से भरे गये आवेदन फार्म की प्रति।
2. एलॉटमेन्ट लेटर की प्रति एवं प्रवेश परीक्षा के परीणाम की प्रति।
3. हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट की अंकतालिका व प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
4. आय प्रमाण पत्र (माता–पिता/अभिभावक का नाम) तथा इण्टरनेट के सत्यापन की प्रति के साथ।
5. जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति तथा इण्टरनेट के सत्यापन की प्रति के साथ। (सामान्य वर्ग का छोड़कर)
6. निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति तथा इण्टरनेट के सत्यापन की प्रति के साथ।
7. जिनके माता–पिता/अभिभावक नौकरी में हो आय प्रमाण पत्र के साथ फार्म–16 अथवा वेतन प्रमाण पत्र भी लगायें।
8. संस्थान में जमा किये गये शिक्षण शुल्क की रशीद (रशीद संख्या सहित) की छात्राप्रति।
9. यदि दो कक्षाओं के बीच गैप हो तो तद् आशय का स्वप्रमाणित शपथ पत्र की मूल प्रति।
10. बैंक पास बुक की छायाप्रति (जिसमें छात्र–छात्रा के नाम व खाता संख्या एवं IFSC कोड स्पष्ट अंकित हो) संस्था में संचालित बैंक का हो।
11. छात्र एवं उनके माता–पिता/अभिभावक द्वारा रू0 10/– के शपथ पत्र पर इस आशय का शपथ पत्र कि छात्र के आवेदन पत्र के साथ संलग्न आय प्रमाण पत्र में दर्शायी गई आय समस्त स्रोंतो से सही है एवं इसके अतिरिक्त आय का कोई अन्य श्रोत नही है, नोटरी कराकर मूल प्रति संलग्न करे। **(प्रारूप संलग्न)**।
12. छात्र–छात्रा एवं माता–पिता/अभिभावक के आधार कार्ड की छात्राप्रति।
13. शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन में केवल अनिवार्य **नॉन रिफण्डेबल शुल्क रू0 55,380/-** भरा जाना है।

नोटः–

1. छात्रवृत्ति आवेदन फॉर्म का अंतिम प्रिन्ट करने से पूर्व उसका प्रिन्ट लेकर आप के द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन फॉर्म में भरी गई सूचनाओं को ठीक प्रकार से जॉच करने के उपरान्त ही आवेदन का अंतिम प्रिन्ट ले।
2. छात्र–छात्रा का आय प्रमाण पत्र माता–पिता/अभिभावक के नाम का ही मान्य होगा। आय प्रमाण पत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने की दशा में छात्र–छात्रायें स्वयं जिम्मेदार होगें।
3. समस्त छात्रवृत्ति आवेदन करने वाले छात्र–छात्रा के आधार कार्ड में दी गई सूचना उसके मूल प्रमाण पत्रों के अनुसार होनी चाहिए। त्रुटि होने की दशा में समाज कल्याण विभाग द्वारा संदेहास्पद छात्र–छात्रा के आवेदन को किसी भी स्तर पर निरस्त किया जाता है तो इसकी दशा में छात्र–छात्रायें स्वयं जिम्मेदार होगें। आधार कार्ड में दी गई सूचना आपके मूल प्रमाण पत्रों के समान न होने की दशा में **(जैसेः मोबाईल नम्बर, हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार छात्र व उसके माता–पिता का नाम, जन्म तिथि, आवासीय पता इत्यादि)** वे छात्र–छात्रा तत्काल अपने आधार कार्ड की सूचना को मूल प्रमाण पत्रों के अनुसार समान रूप में कराना सुनिश्चित करें।

(सन्तोष कुमार)
नोडल अधिकारी (छात्रवृत्ति)
नोडल अधिकारी
छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ
राजकीय इंजी० कालेज बिजनौर

28/11/2020
(नरेश कुमार)
कुलसचिव
Naresh Kumar
(Registrar)
Rajkiya Engineering College
Bijnor (U.P.)

राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज,बिजनौर
Rajkiya Engineering College, Bijnor
An Institute of Government of Uttar Pradesh
(AICTE APPROVED)
Jaleelpur Road, Near Eidgah, Chandpur, Distt- Bijnor, Uttar Pradesh, India -246725.
Website : www.recb.ac.in
Ph: 01345-221301
Fax 01345-221302

संदर्भ संख्या : 16-A/रा0इ0का0/छा0प्र0/छा0सू0/2020–21 दिनांकः 28/11/2020

–:: छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित आवश्यक सूचना ::–

संस्थान में अध्ययनरत् छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु पात्र छात्र–छात्राओं को सूचित किया जाता है कि सत्र 2020–21 में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का ऑन लाइन फॉर्म भरने से पहले निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए छात्र–छात्रायें अपना–अपना छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का आवेदन दिनांक 15 दिसम्बरए 2020 तक भरना सुनिश्चित करे। किसी भी प्रकार की त्रुटि अथवा विलम्ब हाने के लिए छात्र–छात्रायें स्वयं जिम्मेदार होगें।

1. सत्र 2020–21 में संस्थान में समस्त प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष (लेटरल इंट्री) के छात्र–छात्राओं के द्वारा नवीन श्रेणी में अपने आवेदन का फॉर्म भरेगें।
2. यदि किसी छात्र–छात्रा को जिस वर्ष हेतु छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान की गयी है और यह पाया जाता है कि छात्र–छात्रा ने पाठ्यक्रम का अध्ययन छोड़ दिया गया है तो छात्र को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि वापस करनी होगी। यदि कोई छात्र वार्षिक परीक्षा में अनुपस्थित रहता है तो उस दशा में उस पाठ्यक्रम का अध्ययन छोड़ दिया जाना माना जायेगा और छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि की वसूली विभाग द्वारा की जायेगी।
3. सत्र 2020–21 में नवीन श्रेणी के सभी छात्रों को आधार नम्बर के साथ – साथ एनरोलमेन्ट नम्बर भरना अनिवार्य होगा तथा छात्र–छात्राओं को अपना आधार कार्ड नम्बर को सम्बन्धित बैंक खाता से लिंक कराना आवश्यक है।
4. यदि कोई छात्र पाठ्यक्रम को अधूरा छोड़कर किसी दूसरे पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है, तो वह नये पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु पात्र नहीं होगा। छात्र के माता–पिता/अभिभावक के द्वारा शपथ पत्र से औचित्य प्रमाणित होने तथा नये पाठ्यक्रम में अध्ययन जारी रखने पर नये पाठ्यक्रम में दूसरे वर्ष से नये छात्र के रूप में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु पात्र होगा। पुनः पाठ्यक्रम परिवर्तन करने पर छात्र नये पाठ्यक्रम की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु पात्र नहीं होगा।
5. संस्थान में अध्ययनरत् अभ्यार्थी को शासन द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि तक ऑनलाइन छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का आवेदन पत्र भरना होगा, अन्तिम तिथि के पश्चात् आवेदन फॉर्म भरे जाने वाले ऑनलाइन छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
6. छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अभ्यार्थी की संतोष जनक प्रगति एवं आचरण पर निर्भर करती है। यदि किसी समय संस्थान प्रमुख द्वारा समाज कल्याण विभाग को सूचित किया जाता है कि कोई अभ्यार्थी स्वंय अपने आचरण अथवा चूक के कारण संतोष जनक प्रगति करने में असफल रहा हैं अथवा उसे दुर्व्यहार जैसे – हड़ताल करने या उसमें भाग लेने, सम्बन्धित प्राधिकारियों की अनुमति के बगैर उपस्थिति में अनियमितता आदि में दोषी पाया जाता हैं तो छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति संस्वीकृत करने वाला प्रधिकारी या तो छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति रद्द कर सकता है या तो रोक सकता है या ऐसी अवधि, जो वह उचित समक्षे, तक के लिए आगे का भुगतान रोक सकता है।

28/11/2020

(सन्तोष कुमार)
नोडल अधिकारी (छात्रवृत्ति)
नोडल अधिकारी
छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ
राजकीय इंजी० कालेज बिजनौर

(नरेश कुमार)
कुलसचिव

Naresh Kumar
(Registrar)
Rajkiya Engineering College
Bijnor (U.P.)